<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर</u>

(J.O. Code No. UP 2004)

UPHM010017282026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 816/2026

हुकुमलाल उम्र लगभग 23 वर्ष पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम गंज थाना कबरई जिला महोबा (उ०प्र०) .....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... अभियोजन पक्ष

सत्र वाद संख्या 393/2026
राज्य बनाम हुकुमलाल आदि
मु०अ०सं०- 35/2026
धारा- 85, 109, 115(2), 352,
351(3) बी०एन०एस० व
3/4 डी०पी० एक्ट
थाना- बिवांर, जिला- हमीरपुर

<u>30.06.2026</u>

आवेदक/अभियुक्त **हुकुमलाल** पुत्र रामनाथ की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र सत्र वाद संख्या 393/2026, राज्य बनाम हुकुमलाल आदि, मु०अ०सं० 35/2026 अन्तर्गत धारा 85, 109, 115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस० व 3/4 डी०पी० एक्ट थाना बिवांर जिला हमीरपुर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त प्रकरण में जिला कारागार में निरुद्ध है।

आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार शिवकुमार पुत्र शिवराम द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार आवेदक का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिया मुकदमा श्रीमती आरती द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि उसकी शादी माता पिता द्वारा हस्व हैसियत दान दहेज देकर हिन्दू रीति रिवाज व स्थानीय परंपरा अनुसार हुकुमलाल के साथ दिनांक 28.05.2023 निज निवास ग्राम उमरी थाना बिंवार से संपन्न हुई थी और वह विदा होकर ससुराल ग्राम गंज आई थी। पहली विदा से ससुरालीजन दहेज से संतुष्ट नहीं थे और कम दहेज लाने का ताना देकर शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न प्रारंभ कर दिये थे। दिनांक 13.02.2026 को दिन में लगभग तीन बजे जब वादिया ससुराल में थी तभी ससुरालीजन पति हुकुमलाल, नन्दोई राजाभइया, सास इन्दाणी, जेठ माखन ने अतिरिक्त दहेज के रूप में नगद मु० 4,00,000/-रुपये व एक सोने

(Manoj Kumar Rai)
Sessions Judge, Hamirpur
(J.O. Code UP 2004)

की चैन माता पिता से दिलाने की मांग करने लगे। वादिया ने मांग पूरी कराने में असमर्थता व्यक्त की तो वे लोग गुस्से में आग बबूला होकर मां बहन गंदी गालियां से अपमानित कर लात घूसों से मारपीट करने लगे और पति ने जान से मारने की नियत के वादिया के शरीर में पेट्रोल छीड़कर आग लगा दी। घटना तमाम ग्राम वासियों ने देखा व बीच बचाओ किया। शादी के पर्याप्त यातनाये सहन कर वादिया ने एक पुत्र बउवा आय लगभग एक वर्ष को जन्म दिया है। मुल्जिमानों ने वादिया को दयनीय स्थित देखकर संतुलियत न होने पर वादिया का संपूर्ण जेवरात सोना चांदी मु० 3,25,000/-रुपये छीन कर मय पुत्र को यह कहकर वादिया के मायके माता पिता के घर ग्राम उमरी थाना बिंवार छोड़ गये है कि जब तक उनकी उपरोक्त मांग माता पिता से पूरी न करा देना तब तक ससुराल नहीं आना। अगर आ गये तो जिंदा जलाकर मार देंगे। वादिया के शरीर में गंभीर चोटे व शरीर जला हुआ है। उक्त आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा पति होने की वजह से उसे झूठा फसाया गया है। आवेदक ने दिनांक 07.04.2026 को माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्म समर्पण किया था और तब से वह जिला कारागार, हमीरपुर में निरूद्ध है। प्र०सू०रि० विलंब से है और उसका कोई कारण भी नहीं है। गवाह के बयान अंतर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० व वादिया के बयान में विरोधाभास है। वादिया के शरीर में आई चोट साधारण प्रकृति की है इसलिये आवेदक के ऊपर धारा 109 बी०एन०एस का केश नहीं बनता है तथा उक्त मुकदमें में आरोप दिनांक 08.06.2026 को बन चुका है। कथित घटना का कोई चश्मदीद साक्षी व गांव का पड़ोसी नहीं है और न ही विवेचक द्वारा कथित घटना की सत्यता तक पहुंच कर विवेचना की गई है। दोनों पक्ष गरीब मजदूर व्यक्ति है। दोनों पक्ष इतने समर्थ नहीं है कि चार लाख रुपया व सोने की जंजीर दे सके व मांग सके। कथित घटना रसोई के पास की है, कैसे आग लगी है, इस तथ्य को पीड़िता द्वारा छिपाया गया है। उक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिया मुकदमा आरती के साथ अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर गाली गलौज व मारपीट करते हुये उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई तथा जान से मारने का प्रयास किया गया। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है और उसके द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उक्त आधार पर आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर अपनी पत्नी से अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मारने पीटने, गाली गलौज देने, जान से मारने की धमकी देने व उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कर आग लगाकर जान से मारने की प्रयास किये जाने का आक्षेप है। वादी की चिकित्सीय सेप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट के अनुसार उसका शरीर पीठ की तरफ 15 से 18 प्रतिशत जला हुआ, जो 1 से 2 डिग्री जला हुआ है। चोटे साधारण प्रकृति की हैं। पति -पत्नी के बीच का विवाद है। मामले में विवेचना समाप्त हो चुकी है तथा आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। इसी के साथ न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप भी विरचित किया जा चुका है। पत्रावली साक्ष्य में नियत है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 07.04.2026 से जेल में निरुद्ध है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास भी उपलब्ध नही है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर बिना कोई राय व्यक्त किये न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

(Manoj Kumar Rai)
Sessions Judge, Hamirpur
(J.O. Code UP 2004)

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **हुकुमलाल पुत्र रामनाथ** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र सत्र वाद संख्या 393/2026, राज्य बनाम हुकुमलाल आदि, मु०अ०सं० 35/2026 अन्तर्गत धारा 85, 109, 115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस० व 3/4 डी०पी० एक्ट थाना बिवांर जिला हमीरपुर स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा मुव०- 1,00,000/- रू० (एक लाख रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दाखिल किये जाने पर निम्न शर्तों के अधीन उसे जमानत पर रिहा किया जाता है-

1. आवेदक/अभियुक्त बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० अंकित किये जाने के समय व अन्य महत्वपूर्ण तिथियों पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

2. यह कि आवेदक/अभियुक्त किसी भी साक्षी को डरायेगा व धमकायेगा नहीं तथा विचारण में सहयोग करेगा।

3. यह कि यदि आवेदक/अभियुक्त अग्रिम नियत तिथियों पर अनुपस्थित रहता है या उसके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र निरस्त होता है तो उसका बन्ध पत्र स्वतः जब्त माना जायेगा।

दिनांक- 30.06.2026

(मनोज कुमार राय)
सत्र न्यायाधीश,
हमीरपुर

(Manoj Kumar Rai)
Sessions Judge, Hamirpur
(J.O. Code UP 2004)

Digitally signed by MANOJ KUMAR RAI
Date: 2026.06.30 13:29:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court